तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30.7.21	उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर हैं। अवकाश पर है / पदरिक्त है अतः पत्रावली दिनांक 17.8.21 को पेश हो। रीडर उपखण्ड अधिकारी माण्डल	
17.8.21	पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उपस्थित, विपक्षीगण के सम्मन बाद तामिल होकर प्राप्त हुए। जिसे शा.प. किये गये। तहसीलदार मांडल पटवार हल्का चोपरास द्वारा मौका रिपोर्ट पेश हुई जिसे शा.प. किया गया। विपक्षीगण को कितनी मर्तबा आवाजें दिलायी जाने उपरान्त भी उपस्थित नहीं इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। वकील प्रार्थी ने बहस करनी चाही। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी मांडल जिला भीलवाड़ा	

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Saxena
Date: 2022.01.06 13:10:31 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान -सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी–डॉ पूजा सक्सैना, आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या – 20/21 प्रा०पत्र

1– श्री मदनलाल S/o श्री तोताराम उर्फ मोतीलाल कड़ी निवासी - चांदरास तहसील - माण्डल

–प्रार्थी

बनाम

1– श्री सोहनलाल S/o श्री सालगराम माली निवासी - सोजी का खेड़ा तहसील माण्डल (भीलवाड़ा) (प्रकाशित प्रा०पत्र अनुसार)

–विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांकः– 17.8.21

::आदेश::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम चांदरास पटवार हल्का चांदरास तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी न. 328 कुल किता 01 रकबा 0.4426 बीघा हैक्टेयर बिस्वा स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है।जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 08.02.21 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काश्त काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी अभिलेख में किसी प्रकार की हेरा–फेरी होने का अंदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकर निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों को देखते हुए ...क की न्यायिक सिद्वान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम चांदरास पटवार हल्का चांदरास तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी नं 328 कुल किता 01 रकबा 0.4426 हैक्टेयर बीघा बिस्वा भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू–अभिलेख निरीक्षक ... को ... रुपये/– कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है ... फीस प्रार्थीगण मौके पर ... करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान की मौजूदगी ... स्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर प... ... होने पर पत्थरगढी नही की जावें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपिः– तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस मे प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला ...

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Saxena
Date: 2022.01.06 13:10:31 IST
Reason: SelfAttested